न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 91/2015

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,अजमेर

..........*प्रार्थी*

बनाम

1. श्री जितेन्द्र तुलसानी पुत्र श्री गिरधारीलाल (मालिक विक्रेता फर्म), मैसर्स– लक्ष्मण प्राविजन स्टोर, 27 कुन्दन नगर, वार्ड नगर, वार्ड–48, अजमेर।
2. (मालिक विक्रेता फर्म)– भुवनेश शर्मा, मैसर्स– Vole Traders, 31/14, Prem Niwas, Behind Police Chowki, Ramganj, Ajmer
3. (मालिक विक्रेता फर्म)– राकेश कुमार शर्मा, Maruti Enterprises,A 13, Shiv Nagar, Opp. Gauras Bhandar Street, Road No.1, VKI Area, Jaipur 302013
4. (नोमिनी विक्रेता फर्म)– DnYaneshwar M. Bachhav, Empire Spices & Foods LTD. C/O Sancheti Warehousing Complex, Mumbai Agra Road, A/p Jaulke, Tal Dindori, Dist.Nashik&3 Maharastra, Corp. Office Empire House, plot - 30,5th crossing, goving Nagar, Nashik-422009
5. (निर्माता फर्म)– Empire Spices & Foods LTD. C/O Sancheti Warehousing Complex, Mumbai Agra Road, A/P jaulke, Tal Dindori, Dist. Nashik- 3 Maharastra, Corp. Office Empire House, Plot-30, 5th Crossing Goving Nagar, Nashik-422009

........*अप्रार्थीगण*

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (।।) एवं धारा 52 के तहत

उपस्थित :– अप्रार्थीगण स्वयं।

<u>–: आदेश :–</u>

दिनांक–10.02.2016

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए जिलो मे कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं माणक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र मे लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर ने अप्रार्थीगण के विरूद्व एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थीगण ने मिसब्राण्ड Mango Pickle (Rambandhu) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की 26 की उपधारा 2 (11) का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 मे निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन गजट नोटिफिकेशन की प्रति कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति माल खरीद, बिल असल, फार्म नम्बर 5ए असल, फर्द रिपोर्ट असल फार्म नम्बर 6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुस्त पर) खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा खाद्य नमूना एवं फार्म नम्बर 6 द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीद की अभिहित अधिकारी

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

Scanned by CamScanner

द्वारा खाद्य नमूना के तीन भाग की रसीद व खाद्य विश्लेषक अजमेर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने बाबत आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 04.12.2014 को 02:30 पी0एम0 बजे खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स– लक्ष्मण प्राविजन स्टोर, 27 कुन्दन नगर, वार्ड नगर, वार्ड–48, अजमेर पर पहूँचे श्री जितेन्द्र तुलसानी पुत्र श्री गिरधारीलाल मौके पर उपस्थित मिले खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के दौरान विक्रय हेतु Mango Pickle (Rambandhu), नमक, घी, तेल आदि के 400–400 एम0 एल0 के पैक पाउच विक्रय के लिए रखे हुए थे। Mango Pickle (Rambandhu) में मिलावट का शक होने पर उनमे से नमूना जॉच हेतु Mango Pickle (Rambandhu) की 500–500 ग्राम के 4 पैकेट वास्ते नमूना जॉच हेतु 260/– रूपयें श्री जितेन्द्र तुलसानी पुत्र श्री गिरधारीलाल को नगद देकर गवाह श्री वासुदेव शर्मा के समक्ष क्रय करने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थीगण श्री जितेन्द्र तुलसानी पुत्र श्री गिरधारीलाल को सम्भलाकर रसीद प्राप्त करने खरीदशुदा Mango Pickle (Rambandhu) के 4 अलग–अलग पैकेट को भूरे कागज में लपेट कर कागज को दोने ओर गोन्द से चिपकाने के पश्चात लेवल पर डीओ के कोड क्रमांक ए–899 दर्ज कर प्रत्येक लेवल पर हस्ताक्षर करते हुए चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते मे लेने के पश्चात् कार्यालय पहुॅचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने मे से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर कराकर दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे मे बंद कर चपडी सें सील मोहर कर, खाद्य विश्लेषक, अजमेर को शेष 2 सील बंद नमूना भाग फार्म नम्बर 6 की दो प्रति आउटर कवर मे सील बंद कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर को भिजवाये जाने का उल्लेख किया गया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद मे यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी अजमेर के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2014/1333 दिनांक 22.12.2014 अनुसार खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस/641/एक्ट/2014/651 दिंनांक 18.12.2014 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जॉच विक्रय किया गया Mango Pickle (Rambandhu) मिसब्राण्ड होना पाया गया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय मे दिनांक 20.11.2015 को प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 20.11.2015 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण श्री जितेन्द्र तुलसानी पुत्र श्री गिरधारीलाल को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 30.12.2015 को कार्यालय हाजा मे स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया।

नियत पेशी दिनांक 30.12.2015 को अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित हुये उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पेश किये गये परिवाद मे वर्णित तथ्यों को पढकर अवगत करवाया। अप्रार्थीगण ने जवाब नाटिस पेश कर कथन किया कि उपरोक्त गल्ती अज्ञानता एवं जानकारी नहीं होने के कारण हुई है। अब इस गल्ती का निस्तारण कर चुके हैं तथा भविष्य में इस प्रकार की गल्ती नहीं की जाएगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद मे उन पर लगाये गये आरोपो को स्वीकार करते हुए यह अनुरोध किया कि भविष्य में इस तरह की कोई गल्ती नही की जायेगी। उस पर कम से कम जुर्माना लगाया जाकर प्रकरण को ड्रॉप किया जाये। चूकिं परिवाद के अप्रार्थीगण अभियुक्त श्री जितेन्द्र तुलसानी पुत्र श्री गिरधारीलाल न्यायालय हाजा मे उपस्थिति होकर अपना जुर्म कबूल किया तथा लिखित में जवाब प्रस्तुत किया एवं न्यूनतम शास्ती राशि लगाने हेतु निवेदन किया। अभियुक्त द्वारा जुर्म

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

Scanned by CamScanner

कबूल कर लिये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं परिवाद मे वर्णित गवाहान को साक्ष्य हेतु बुलाना उचित नही समझा गया। परिवाद मे वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजो खाद्य विश्लेषक, अजमेर की जॉच रिपोर्ट के आधार पर विक्रय किया गया Mango Pickle (Rambandhu) मिसब्राण्ड होना पाया गया, जिसके लिए अभियुक्त दोषी प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण श्री जितेन्द्र तुलसानी पुत्र श्री गिरधारीलाल द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं माणक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (11) के तहत मिथ्याछाप पदार्थ बेचने का दोषी हैं। जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 52 में मिथ्याछाप पदार्थ पाये जाने पर शास्ती आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। चूकिं अप्रार्थीगण द्वारा प्रथम अपराध कारित किया गया है, अतः न्याय हित में इस चेतावनी के साथ उन्हें हिदायत दी जाती है कि वे भविष्य में इस प्रकार का अपराध पुनः कारित नहीं करेंगें। इस आशय का शपथ–पत्र भी उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश करना होगा। उपरोक्त प्रावधान को मद्देनजर रखते हुए अप्रार्थीगण अभियुक्त श्री जितेन्द्र तुलसानी पुत्र श्री गिरधारीलाल को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है क्योकि प्रार्थी अभियुक्त ने उस पर लगाये गये आरोप को स्वीकार कर भविष्य में इस तरह की गलती की पुनरावृति नही किये जाने हेतु आश्वस्त किया है। परन्तु अप्रार्थीगणगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (11) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत अप्रार्थीगणगण अभियुक्त श्री जितेन्द्र तुलसानी पुत्र श्री गिरधारीलाल व अन्य को रु.35000/– (अक्षरे रूपये पैतीस हजार मात्र) शास्ती आरोपित की जाती है। अभियुक्त उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 10.02.2016 के एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 10.02.2016 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

क्रमांक :सरिस्ता/अपर/2016/ ८९९-९०२ दिनांक : 11.3.16

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।

2– अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अजमेर।

3– श्री जितेन्द्र तुलसानी पुत्र श्री गिरधारीलाल (मालिक विक्रेता फर्म), मैसर्स– लक्ष्मण प्राविजन स्टोर, 27 कुन्दन नगर, वार्ड नगर, वार्ड–48, अजमेर।

4– DnYaneshwar M. Bachhav, Empire Spices & Foods LTD. C/O Sancheti Warehousing Complex, Mumbai Agra Road, A/p Jaulke, Tal Dindori, Dist.Nashik&3 Maharastra, Corp. Office Empire House, plot -30,5th crossing, goving Nagar, Nashik-422009

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर

Scanned by CamScanner